111/2021/I/100085/2021-71-2002(002)/1/2021

प्रेषक,

शुभ्रा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 22 सितम्बर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत आकस्मिक व्यय मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/लेखा/268/2021, दिनांक 13-08-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत आकस्मिक व्यय मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त की धनराशि शासनादेश संख्या-47/2021/71-2-2021-02/2018-टी0सी0, दिनांक 08 अप्रैल, 2021 एवं शासनादेश संख्या-78/2021/I/82244/2021, दिनांक 24-07-2021 द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि क्रमशः रू0 3333.33 + 3333.33 = 6666.66 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष एस0जी0पी0जी0आई0 को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अंतर्गत तृतीय किश्त के रूप में 3333.33 लाख (रूपये तैतीस करोड तैतीस लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निम्नानुसार निदेशक, ससंस्थान के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	संस्था का नाम	लेखाशीर्षक	प्राविधानित धनराशि	शासनादेश दिनांक 08-04-2021 एवं 24-07-2021 द्वारा अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
				धनराशि लाख में	
1	संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	2210-05-105-03-0309-संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ -20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	20000.00	3333.33+3333.33	3333.33
			योग	**6666.66**	**3333.33**

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।

7- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

8- धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/521/दस-2021-2022, दिनांक 16 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शुभ्रा सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5) वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6) वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।